

अध्याय 17

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

नियम 139 : निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

- (1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01** प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा।
- (2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-02** में अभिग्रहण का आदेश करेगा।
- (3) उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे माल या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है, माल की सुरक्षित देखरेख करने के लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सौंप सकेगा और उक्त व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगा।
- (4) जहां ऐसे किसी माल को अभिग्रहित करना व्यवहार्य नहीं है वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03** में ऐसे प्रतिषेध आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई कार्रवाई करेगा।
- (5) माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या इकाई, बनावट, चिन्ह या माडल, जहां कहीं लागू हो, के साथ-साथ उनकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज या पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है।

¹ अधिसूचना क्रमांक 15/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा अध्याय 17 से 19 सहपठित नियम 139 से 162 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।